



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493480



1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
 2. नोडलता/ग्राम...मौजा सतीहा असगरपुर तहसील व जिला मधुश
 3. नापन की इकाई (हेक्टेयर) रकबा 0.252 हेक्टेयर
 4. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
 5. पेड़ों का मूल्यांकन...नहीं
 6. बेरिंग/कुआ/अन्य...नहीं
 7. प्रतिफल की धनराशि..1000000/-रुपये
 8. स्टाम्प हेतु गालियत 1000000/-रुपये
 9. स्टाम्प देय 00000/-रुपये
 10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 1200000/-रुपये प्रतिएकड़ जो संशोधित नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं० 4 क्रमांक 29पर दर्ज है।
- कार्यक्षेत्र उ०नि० मधुश -- प्रथम/द्वितीय

महेश्वर

Amar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493479



(2)

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

भूपसिंह पुत्र श्री अग्नी निवासी नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथम ख व एरा 0 जे 0 पी 0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी - 11, श्रीजगन्नाथम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा गुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षमण इस लेखपत्र के हैं।

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

जतापसिंह पुत्र श्री मौडर सिंह निवासी मांतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी गौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा

भूपसिंह



भूपसिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493478



(3)

हमकि भूपसिंह पुत्र श्री अगनी निवासी नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजगनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा मुहायदा व धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

जो कि आराजी भूमिधरी खाता नंबर-309 खसरा नंबर-77 रकबा 0.252 हेक्टेयर लगानी 5.75 रुपया बाकै भौजा सतोहा असागरपुर तहसील व जिला मथुरा मिलिकयत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सकें उक्त आराजी पर किसी भी

अग्रवाल

अग्रवाल



D 448057

(4)

वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी चार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ भित्तीय विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सख्त से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 1200000/-रुपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु नाजियत 1000000/-रुपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक-8.2.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-1 जिल्द 3858 के सफा 15/330 नंबर-9986 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की

अपेक्षित

Handwritten signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 448058



शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी स्मृति से किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं वएवज 1000000/-दस लाख रुपया जिसके आधे 500000/-पाँच लाख रुपया होते हैं। बदास्त प्रतापसिंह पुत्र श्री भीमर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालोनी भीजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बै कर्तब कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल 10 लाख रुपया खरीदार से पहले प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना कर दिया। खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्थुभी हुआ। खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावे और स्वयं जो चाहे सो करे अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों को बेची गई

कृत/सिंह

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 448128



6

उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कच्चा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब दिक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्त जाता मुझे खर्च व बसूल करले। इसमें प्रथमपक्ष को कोई छज नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है व ही आराजी में कोई पेड़ आदि है। विक्रेता व केता दोनों ही अनुसूचित जाति

21/12/07

Armar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 448129



7

के सदस्य है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सहासर्निंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद घाटक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। मुख्तारनामा आम दिनांक-30.12.2003 जिसका निबन्धन कार्यालय उ०नि० मथुरा में बही नंबर-4 जिल्द 33 के सफा 163/166 नंबर-560 पर दिनांक-30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मूल राम, अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को क्रेता श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पुरे पुरे अधिकार प्राप्त हैं।



Assured





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 448130



8

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समथ पर काम आवें।

दिनांक- 9.12.2007

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारियामथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा।

मुपासी

Signature



Handwritten notes in Hindi:
जाने
गोपाल कृष्ण झारियामथुरा
सुभाष कुमार चतुर्वेदी
27/12/07

गोपाल

Handwritten signatures and text:
गोपाल कृष्ण झारियामथुरा
सुभाष कुमार चतुर्वेदी

Handwritten signatures and text:
सुभाष कुमार चतुर्वेदी
एडवोकेट

जनरल रजिस्ट्रार
राज्य श्री पुत्र श्री
संलग्न भत्ता निवासी

Shamul Chandra
23 जन 2008
रा. रजिस्ट्रार, मथुरा

प्रमाण दिनांक 02/01/2008 के

वर्ग सं 1 जिल्ला सं 4746

पृष्ठ सं 293 से 310 पर क्रमांक 21

गतिशील किया गया

मुकेश श्रीवास्तव

उप-निबन्धक

मथुरा-प्रथम

2/1/2008






1. प्रलेख का प्रकार : इकशरनामा मुलायदा वै
2. बौहल्ला/ग्राम...सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. सम्पत्ति का विवरण : ७६ भूमि रकबा 0.252 हेक्टेयर
4. सौदा 1000000/-रुपये
5. एडवांस/धाना 250000/-रुपये
6. म्याद एक साल
7. स्टाम्प देय 40000/-रुपये
8. कार्यक्षेत्र उ०नि० गश्त प्रथम

विक्रेता की संख्या (१)

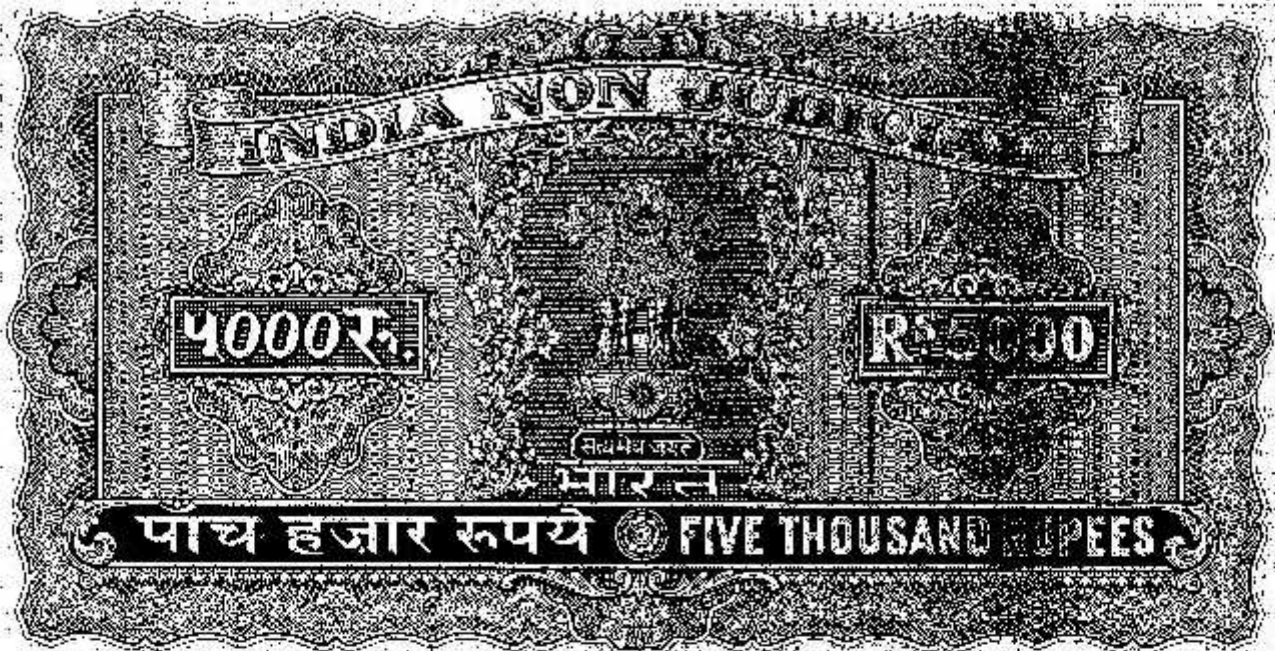
विक्रेता का विवरण

भूपसिंह पुत्र श्री अगनी निवासी नगला कुम्हेरिया भाग आम दतिया तहसील व जिला मथुरा

भूपसिंह

भूपसिंह



5000Rs_v

000214



(2)

क्रेता की संख्या : 1

क्रेता का विवरण

एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी
111, श्रीजमुनाधाम कालोनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

हैं कि मूपसिंह पुत्र श्री अगनी निवासी नगला कुम्हेरिया गाग ग्राम दतिया तहसील ब
जिला मथुरा का हूं।

कुरुपतिं २.

Amos 5



000215



(3)

जो कि आसानी भूमिधरी खाता नंबर-309 खसरा नंबर-77 रकबा 0.252 हैक्टेयर लगानी 5.75 रुपया बाकी मौजा रातोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा मिलिकयत मेरी है। और मेरा ही नाम दर्जकागजात सरकारी है जिस पर मेरा वारतविक मालिकाना कब्जा है और जिसके विषय में मुझको हर तरह के अधिकार मालिकाना व काविजाना तथा हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं। और जो हर तरह के झगड़े झंझट कर्जे आदि से पाक साफ है जिसमें सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिरस्ता व संबंध नहीं है न

असली ह.

Handwritten signature



998591

998591

[Signature]

(4)

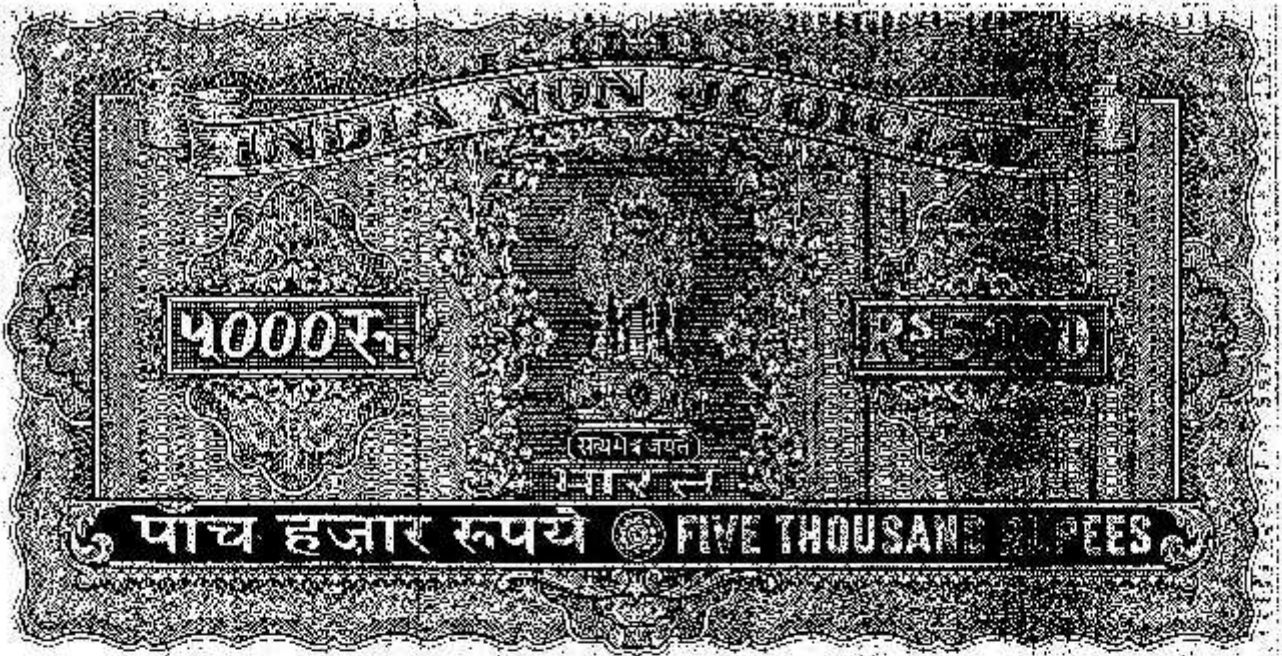
कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो आराजी बेचने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सकें। उक्त आराजी पर किसी भी सरकारी संस्था वित्तीय संस्था व बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई वार या भार बकाया नहीं है। यानि कि बेचे जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ गिल्फिथत मेरी है और मेरे इसी विश्वास कराने पर के सौदा किये जाने वाली आराजी का मैं ही एक मात्र स्वामी हूँ खरीदार उक्त आराजी को खरीदने को तैयार हुआ है। अब मैंने अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा 1000000/- दस लाख रुपये में एस(जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर

[Signature]



[Signature]

5000Rs.



300592



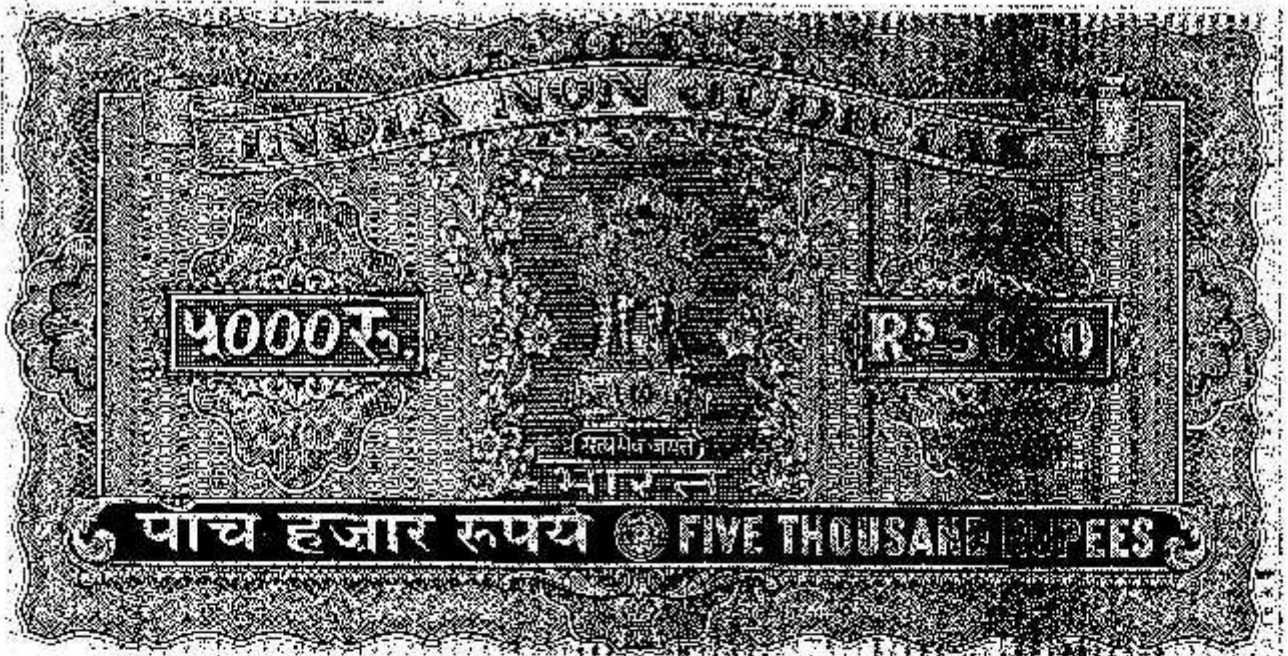
अध्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मधुरा रो तय कर लिया है और क्रेता से 250000/- दो लाख पचास हजार रुपये बतौर पैशगी नकद वक्त रजिस्ट्री इकरारनामा पाया व शेष रुपया वक्त रजिस्ट्री बैनामा मिलेगा। खर्चा बैनामा स्टाम्प फीस आदि जेब खरीदार के जिम्मे हैं। म्याद करने बैनामा एक साल तय हुई है। नै उक्त म्याद में उक्त आराजों का बैनामा समस्त कानूनी पूर्ति करके खरीदार के नाम

अध्रवाल

Homawal



5000Rs.

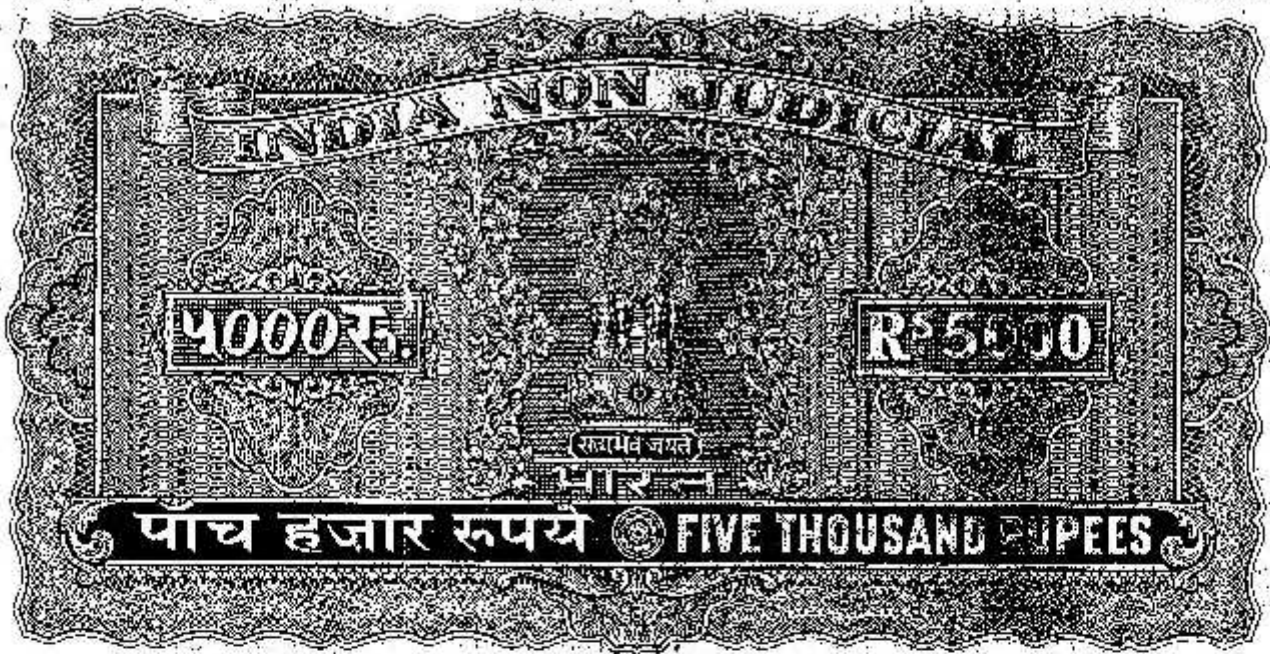


या खरीदार के कहे अनुसार व्यक्ति के हक में कर दूंगा। यदि मैं उक्त अवधि के अन्दर उक्त शर्तों के अनुसार उक्त आराजी का बैनामा न करूँ तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह द्वारा अदालत शर्त पूरी कराते हुये मध्य हर्जा खर्चा नुकसान आदि के बैनामा कराते ऐसी दशा में खरीदार के समस्त हर्जे खर्चे की मेरी जिम्मेदारी होगी और यदि मेरे द्वारा सभी शर्तें पूरी कर, बैनामा करने को तैयार रहने पर भी क्रेता ने म्याद के अन्दर बैनामा न कराया तो फिर उसे कोई अधिकार बैनामा कराने या ब्याना वापिसी का न होगा। कब्जा उक्त आराजी का वक्त रजिस्ट्री बैनामा मिलेगा। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र

रजिस्ट्री

Approved





000836

18880006

7

प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उपरोक्त इकरारनामा क्रेता व विक्रेता व गवाहान को पढ़ाकर व सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट किया गया है। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि०-2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर-6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर गंवर-441 पर दिनांक-2.8.2006 हुई है रासविहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिशज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्तक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

अग्रवाल

Approved

5000Rs.



000835

8

लिहिजी यह इकरासनागा बखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे; जिसका मैं व मेरे वारिसान पाबन्द रहेंगे।

नोट : स्तंभ 2 की लाइन 5 टाईप से पूरी कटी है।

दिनांक-8.9.2006

तार्क्ष्य किया : गो गल मथुरा :

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा ।

मार्च २

~~Honored~~

१। वाह
 श्री गुरु की राखी १। वाह
 मिन्दुशान्ति
 श्री गुरु जी जन्म अष्टम
 केवा अष्टम
 (मधुसूत)

जनरल स्टाम्प कीमत
रुपये २
२

जाल शर्मा

पता नं० १३ सन ८९

रजिस्ट्री मथुरा

आज दिनांक 08/09/2006 को
बही सं 1 जिल्द सं 3858
पृष्ठ सं 315 से 330 पर क्रमांक 9986
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव

उप निबन्धक

मथुरा

8/9/2006

